राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 2 अगस्त, 1995

क्रमांक 1817-ज-2-95/11519.—श्री राम प्रशाद, पुत्र श्री कुरड़ा राम, निवासी गांव अहरोद, (अब बलवाड़ी), तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6-ज-II-71/23829, दिनांक 19 अगस्त, 1971 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री राम प्रशाद की दिनांक 25 जून, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री राम प्रशाद की विधवा श्रीमती मनकोरी देवी के नाम रबी, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 9 अगस्त, 1995

क्रमांक 1877-ज-2-95/11959.—श्री जाहर सिंह, पुत्र श्री डेडराज, निवासी गांव मनेटी, तहसील रेवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ (अब रेवाड़ी) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 929-ज-I-74/15965, दिनांक 6 जून, 1974 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री जाहर सिंह, की दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री जाहर सिंह की विधवा श्रीमती मनभावती के नाम खरीफ, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

जी० डी० सैनी,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LATE NOTIFICATION